राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांकः एचसी / एसके / 2018-19 / 112

दिनांकः 23.05.2018

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के राजकीय वाहनों हेतु साज-सज्जा से सम्बन्धित आइटम्स (एसेसरीज) की आपूर्ति के लिए अनुभवी व पंजीकृत मूल निर्माताओं / वितरकों / उत्पादकों / प्राधिकृत स्टॉकिस्टो / प्राधिकृत डीलरों से एक वर्ष की अवधि के लिए दर संविदा पर मुहरबंध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. स.	मद का नाम	प्राक्कलित लागत रु.	धरोहर राशि
1.	वाहन साज–सज्जा	रू. ४,50,000 / — (रूपये चार	रू. 9,000 ∕ —
	(एसेसरीज)	लाख पच्चास हजार अक्षरें मात्र)	ą.

निविदा प्रपत्र दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 06.06.2018 तक कार्य दिवस में मुख्य रोकड़पाल (Cashier), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है। निविदाएँ दिनांक 06.06.2018 को दोपहर 01.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 07.06.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाएँ उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर एवं http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से

रजिस्ट्रोर (प्रशासन)

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय के राजकीय वाहनो की साज-सज्जा (एसेसरीज) आपूर्ति हेतु दरों के सम्बन्ध में वार्षिक दर संविदा के लिए निविदा के अनुदेश, निबंधन और शर्ते

निविदादाता के लिए अनुदेश

नोट—निविदादाताओं को निम्नलिखित अनुदेश, निबंधनो व शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए। अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर लगा कर लौटावें।

1. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

(i) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोनः .2541338, 2545516 फैक्स: 0291-2546974, ईमेल — hc-rj@nic.in

(ii) निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने साथ राजस्थान सरकार एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट http://hcraj.nic.in एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर

प्रकाशित की जायेगी।

- (iii) निविदादाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली—भाँति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथी से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित (Earnest Money) रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि, यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व—सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।

(v) विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार—विमर्श

नही किया जायेगा।

(vi) निविदा प्रपन्न में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

(vii) निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नको तथा निविदा अनुदेश, निबंधनो व शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मोहर लगा कर निविदा के साथ लौटावें।

2. पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

(i) निविदा प्रपन्न मय विवरण कार्यलय समय में दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 06.06.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क रूपये 200/— देकर प्राप्त किए जा सकते हैं, जो वापस नही (Non-refundable)होगी।

(ii) निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 07.06.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ उसी

दिन उपस्थित निविदाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष प्रातः 11.30 बजे खोली जाएगी।

(iii) वाहनों की साज—सज्जा सम्बधित वांछित सामान की सूची निविदा प्रपत्र में दी गई है। निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र में वर्णित प्रत्येक सामान के सम्मुख सम्बन्धित आइटम्स की दर एवं उसका मेक एवं मॉडल आवश्यक रूप से उल्लेखित की जानी चाहिए। यदि किसी आइटम्स हेतु निविदादाता को एक या उससे अधिक प्रकार के मेक / मॉडल की दरें उल्लेखित की जानी है तो वह निविदा प्रपत्र के संलग्न फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत कर सकते है।

(iv) मूल उपकरण निर्माता या प्राधिकृत डीलर्स निविदा में भाग ले सकते है, डीलर्स की स्थिति में, निर्माता से प्राप्त प्राधिकरण प्रमाण पत्र (Authorization Certificate) निविदा के साथ

संलग्न करना होगा।

3. कार्य विवरण—

(i) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उपलब्ध विभिन्न कम्पनियों के राजकीय वाहनों यथा Skoda Superb, Toyota Innova Crysta/Innova, Corolla Altis, Maruti Ertiga/ Swift Dzire इत्यादि के उपयोगार्थ आवश्यकतानुसार साज—सज्जा से सम्बन्धित सामान की आपूर्ति हेतु अनुभवी व पंजीकृत मूल निर्माता/प्राधिकृत डीलर्स/फर्म से एक वर्ष के लिए दर संविदा पर निविदाएं आमंत्रित करता है।

दिनांकः स्थानः हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

- (ii) वाहनों की साज-सज्जा से सम्बन्धित सामान की गुणवत्ता बेहतरीन (Business Standard) / इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित और मात्रा मानक प्रकिया के अनुसार होनी चाहिये।
- (iii) वाहन साज—सज्जा से सम्बन्धित आपूर्ति किये जाने सामान मूल उपकरण निर्माता (OEM) या इसकी गुणवत्ता मूल उपकरण निर्माता (OEM) के समान (Equal) होनी चाहिये।
- (iv) किसी भी राजकीय वाहन में पुराना समान बदलने की स्थिति में पुराने प्रतिस्थापित सामान/आईट्म्स को सम्बंधित वाहन के वाहन चालक को प्राप्ति रसीद के साथ वापस सुपुर्द करना होगा।
- (v) वाहनों की साज—सज्जा का कार्य प्राथमिकता के आधार पर नियत समय में तत्त्परता से सम्पादित करना होगा। जिससे कि माननीय न्यायाधिपतिगण व अधिकारीगण को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कार्य में होने वाले विलम्ब के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- (vi) निविदादाताओं को अपने फर्म, कार्यालय, गोदाम तथा वर्कशॉप का पूर्ण पत्ता लिखना होगा जिससे उचित समझा जाने पर निविदा स्वीकृति से पूर्व भौतिक निरीक्षण किया जा सकें।
- (vii) निविदादाता का जोधपुर में स्थानीय बिक्री व सर्विस कार्यालय होना आवश्यक है। संपर्क व्यक्ति का नाम, पता व अन्य विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- (viii) निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री/माल/कार्य/सेवा का पूर्ण विवरण (मेक, ब्रांड का नाम, मॉडल नंबर, साईज, स्पेसिफिकेशन, यदि हो तो) स्पष्ट रूप से देना होगा।
- (ix) सफल निविदादाता से वाहनों की साज—सज्जा से सम्बन्धित सामान से दर—संविदा अवधि दौरान कभी भी क्रय किया जा सकता है।

4. पात्रता मानदण्ड:-

- (i) निविदा फर्म के निदेशकों / प्रोपराइटरो / साझेदारों / मालिक / कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशकों / प्रोपराइटरों / साझेदरो / मालिक / कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशको / प्रोपराईटरो / साझेदारो / मालिक / कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होगी।
- (ii) निविदादाता संस्थान सोसायटी रिजस्ट्रेशन एक्ट / इंडियन रिलिजियश एण्ड चैरिटेबल एक्ट / इंडियन ट्रस्ट एक्ट / कम्पनी एक्ट 1956 अथवा इनके समकक्ष अधिनियम के तहत् अन्य राज्य या केन्द्र में ''पंजीकृत'' होना चाहिए। पंजीकरण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी। (नोट:— किसी भी पंजीकरण के लागू नहीं होने की दशा में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपने लेटर हैड पर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।)
- (iii) वाहन साज-सज्जा सम्बन्धित सामान की आपूर्ति हेतु निविदादाता की स्वयं की फर्म हो।
- (iv) राज्य/भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयो/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PUC)/कॉरपोरेट्स /सरकारी संस्थान/स्वायतशासी संस्थान आदि के द्वारा निविदादाता को पूर्व में ब्लेक—लिस्टेड नहीं किया गया हो।
- (v) विभागीय क्रय समिति को निविदा वस्तुओं / आईटम्स की गुणवत्ता, मानदंड एवं लागत के आधार पर निर्णीत करने का पूर्ण अधिकार होगा। विभागीय क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओं को नेगोशिएसन के लिए आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाए जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
- (vi) निविदादाता द्वारा निविदा में वर्णित सामग्री कार्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किये जाने के योग्य होने पर कार्यालय न्यूनतम बोलीदाता से माल/सामग्री लेने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा ऐसी परिस्थिति में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

5. अपात्रता

- (i) निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित/अस्वीकार की जा सकती है :
 - (a) निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदाएं।
 - (b) बिना निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि के जमा निविदाएं।
 - (c) अपूर्ण निविदायें।

दिनांकः स्थानः हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

- (d) भ्रामक अथवा गलत तथ्य / दावे प्रस्तुत करने वाली निविदाएं
- (e) विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना / तय समय से देरी प्रदान करना।
- (f) एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।

(g) अपूर्ण व संशर्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(h) तकनीकी अहर्ताओं को पूर्ण न कर पाना।

(i) निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना / डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।

(j) अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

(k) अवास्तविक दरें लिखनें पर अयोग्य माना जायेगा।

6. अमानत राशि / प्रतिभूति राशि -

- (i) निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि 'रिजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- (ii) सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार 5 प्रतिशत राशि नकद / बैंक गारण्टी / डी.डी. प्रतिभूति के रूप रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करानी होगी, जिसकों पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

(iii) धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा को निविदा खोलने के चरण में गैर जबाबदेह के रूप में अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

(iv) निर्धारित राशि से कम धरोहर राशि या निर्धारित तरीके प्रस्तुत नहीं की जाने वाली धरोहर राशि को अस्वीकार कर दिया जायेगा और निविदादाता को वापस लौटा दी जावेगी।

(v) सभी निविदादाताओं के लिए धरोहर राशि कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है और किसी भी मामले में धरोहर राशि जमा कराने में कोई छूट नहीं दी जायेगी, सिवाय अधिनियम / नियम में वर्णित प्रावधानों के अधीन।

(vi) असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि का प्रतिदाय सफल निविदा के अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

7. धरोहर राशि का समपद्धण/जब्ती:-

(i) जब निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा प्रत्याहत या उपांतरित करता है ;

(ii) जब निविदादाता प्रदाय संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है :-

(a) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है ;

(b) जब निविदादाता प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;

(iii) यदि निविदादाता RTPP अधिनियम और नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट निविदादाता के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है ;

8. कार्य सम्पादन प्रतिभृति:—
सफल निविदादाओं को कार्यादेश (निविदा स्वीकृति सूचना) दिनांक से सात दिन के भीतर निर्धारित
राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत
करना होगा व इसी के साथ RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC
PROCUREMENT RULES, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति किए जाने वाले
वाहन साज—सज्जा की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में

जमा करानी होगी। जिसमें पूर्व में जमा धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

9. <u>दस्तावेज / प्रमाण-पत्र</u>:— निविदादाता फर्मी / एजेंसियों को मूल निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करानी होगी। असफल होने पर उनकी निविदाएं पूर्णतया अस्वीकार कर दी जावेगी और उन पर आगे विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांकः स्थानः



हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

- (i) धरोहर राशि
- (ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र मौजूदा मानदण्डों के अनुसार हो (विधिक स्थिति—कम्पनी/भागीदारी फर्म/स्वामित्व संस्था आदि सहित)
- (iii) GST/TIN पंजीकरण प्रमाण-पत्र/GST संख्या/GST की प्रतिलिपि
- (iv) पेनकार्ड की प्रतिलिपि (PAN नंबर)
- (v) INCOME TAX/ GST चुकता प्रमाण पत्र/अंतिम वित्तीय वर्ष के लिए भरा गया Income Tax/GST Return
- (vi) प्राधिकृत डीलरशिप का प्रमाण पत्र
- (vii) मूल उपकरण निर्माता सुविधा के समर्थन में दस्तावेज
- (viii) राज्य/भारत सरकार के कार्यालयो/विभागो/मंत्रालयो/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PUC)/कॉरपोरेट्स /सरकारी संस्थान/स्वायतशासी संस्थान के लिए वाहन साज-सज्जा आपूर्ति में अनुभव का प्रमाण

10. अंतिम दिनांक का विस्तार:-

रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को बढाने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकेंगे और इस तरह के विस्तार सभी निविदादाताओं पर बाध्यकारी होगा।

11. निविदाओं पर हस्ताक्षर करना:-

- (i) निविदा प्रति टंकित या स्याही में (पेन द्वारा) लिखित होगी और इसके समस्त पृष्ठ निविदा दस्तावेजों के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप निविदादाताओं द्वारा या निविदादाताओं की ओर से हस्ताक्षर किए जाने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगें।
- (ii) निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पढ़ने योग्य होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से भरी होनी चाहिए। यदि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त स्थान नही है तो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पृथक पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।
- (iii) निविदा में कोई भी संशोधन जैसे कि अन्तरालेखन, उद्घर्षण या लिप्तलेखन केवल तब विधिमान्य होगा जब वे निविदा हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये गये है।

12. निविदाए प्रस्तुत करने के बाद वापस नहीं होगी:-

निविदादाताओं को निविदाए जमा कराने/खोलने के बाद वापस लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अन्यथा निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि जब्त किये जाने के लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. निविदाओं की विधिमान्यता की कालावधि:--

निविदादाताओं के द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिनों की कालावधि के लिए प्रस्तावित निविदा / दरें स्वीकार करने के लिए वैध रहेगी।

14. गैर हस्तांतरणीय:- यह निविदा हस्तांतरणीय नहीं है।

दिनांकः स्थानः हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

निविदादाता के लिए निबंधन व शर्ते

1. निरीक्षण:-

(i) विभागीय क्रय समिति अथवा उसका कोई सदस्य किये गए कार्य/सामान/आइटम की गुणवत्ता/मानदंड/मात्रा की जांच कर सकता है। यदि जांच में गुणवत्ता/ मानदंड/मात्रा में किसी प्रकार की कमी पायी गयी तो कार्यादेश को निरस्त किया जा सकेगा अथवा तदनुसार भुगतान योग्य राशि में कटौती की जा सकेगी, जिसके लिए कही कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

(ii) निविदादाता को अपनी फर्म, कार्यालय, गोदाम तथा वर्कशॉप का पूर्ण पता मय संपर्क व्यक्ति का नाम व पता जिससे निविदा स्वीकृति से पूर्व भौतिक निरीक्षण करने के उद्देश्य से, उचित समझने पर विभागीय क्रय समिति अथवा उसका कोई सदस्य संपर्क कर सके लिखना होगा।

2. गारंटी-वारंटी:-

(i) कार्य/ वाहन साज सज्जा से सम्बन्धित आइटम्स मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) द्वारा निर्धारित गारंटी—वारंटी युक्त होगे। आइटम (मशीनरी/इलेक्ट्रिक उत्पाद) की गारंटी—वारंटी अविध की जानकारी देनी होगी।

(ii) कार्य/वाहन साज-सज्जा आइटम्स में दोष पाए जाने पर फर्म/निविदादाता उसे बिना लागत

के प्रतिस्थापित करेगा।

(iii) कार्य / वाहन साज-सज्जा आइटम्स में दोष की पुनरावर्ति के मामले में, फर्म / निविदादाता को 15 दिन की पूर्व सूचना पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

दरें / कीमतें:—

(i) दरों को केवल भारतीय रूपए में शब्दों और अंको दोनों में लिखा जाना चाहिए, अंको और शब्दों में धनराशि में विसंगति के मामले में केवल शब्दों में अंकित धनराशि पर विचार किया जायेगा। दरों में कोई कांट—छांट नहीं होगी। कांट—छांट होने पर अपने हस्ताक्षर/लघु हस्ताक्षर करके दरें अलग से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी।

(ii) निविदा में प्रस्तुत लिखित दरे सभी कर सहित (inclusive of all the applicable taxes,

FOR) यथा- GST, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, भाड़ा इत्यादि सहित होंगी।

(iii) दरें कम से कम एक वर्ष अवधि, सफल निविदा के अंतिम स्वीकृति पत्र / कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी। अल्प अवधि के लिए वैध दरें गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी। उतार-चढाव या अन्य कारण / हेतुक से हुई हानि पर अनुतोष या नुकसान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) दर सूची में प्रस्तावित दरें प्रत्येक मद के समक्ष पृथक रूप से लिखनी होगी।

(v) निविदां में प्रस्तुत प्रस्तावित दरों में माल/कार्य विनिर्दिष्ट स्थान/भंडारगृह/गंतव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पर पहुंचाने (HANDLING CHARGES) तथा स्थापित करने का व्यय (INSTALLATION CHARGES) भी सम्मिलित होगा।

(vi) सभी आइटम्स की दरें उचित मानक इकाई में 'कोट' की जानी चाहिए यथा प्रति नग, प्रति

पैकेट, प्रति हजार इत्यादि।

4. मात्राः-

विभागीय क्रय समिति 'निविदा सूचना/प्रपत्र' में दी गयी मात्रा से अधिक/कम मात्रा में आवश्यकतानुसार आईटम/माल क्रय कर सकेगी। क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत सेवा/माल/आइटम का क्रय नहीं करता हैं या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

5. परिदान:-

- (i) प्रत्येक आपूर्ति 'कार्य—आदेशानुसार' वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवता / निर्धारित मानदंड / मात्रा के अनुरूप एक साथ करनी होगी। यदि कार्यादेश में निर्धारित समयावधि में निविदादाता कार्य / वाहन साज सज्जा आपूर्ति करने में असफल रहता है या माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा और ऐसा माल / कार्य, बाजार से क्रय / अन्य स्त्रोतों से पूर्ण किया जायेगा और लागत में अंतर, यदि कोई हो, नोटिस जारी कर निविदादता से वसूल किया जायेगा। फर्म को ब्लैक—लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- (ii) उक्त कार्य संपादन/माल आपूर्ति के दौरान यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसके लिए यह कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती नहीं करेगा, न ही कोई जिम्मेदारी होगी।

दिनांकः स्थानः

हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

6. हर्जाना/शास्ति:--

(i) यदि निविदादाता/फर्म इस कार्यालय के आदेश के बिना वाहन साज—सज्जा आपूर्ति को बंद कर देता है और कार्यादेश (गुणवता/मानदंड/समयावधि) के अनुसार वाहन साज—सज्जा आपूर्ति को पूरा नहीं करता है तो यह कार्यालय नियमानुसार जुर्माना लगा सकता है।

(ii) कार्यालय/विभाग किसी निविदादाता को बिना पर्याप्त आधार के निविदा का पालन करने में असफल रहने के स्थिति में निविदादाता को उपयुक्त अवधि के लिए ब्लैक—लिस्ट करने का

अधिकार सुरक्षित रखता है।

(iii) यदि निविदादाता / फर्म अनुबंध अधिनिर्णय होने के पश्चात निबंधनो व शर्तो का उल्लंघन करता है तो ब्लैक—लिस्ट किए जाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और उसकी जमा धरोहर राशि जब्त / समपहृत होगी।

(iv) कार्यादेश में निर्धारित समयाविध में माल/ सेवा आपूर्ति नहीं करने पर परिनिर्धारित नुकसानी

(LIQUIDATED DAMAGES) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी :--

(a) विदित सुपुर्दगी/आपूर्ति अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिए क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

(b) विदित सुपुर्दगी/आपूर्ति अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रयादेश की राशि का 5 प्रतिशत।

(c) विदित सुपुर्दगी/आपूर्ति अवधि की आधी अवधि से अधिक तीन चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए क्रयादेश राशि का 7.5 प्रतिशत।

(d) विदित सुपुर्दगी/आपूर्ति अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए कार्यादेश की राशि का 10 प्रतिशत।

(e) आपूर्ति में विलंब की अवधि की गणना के लिए आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7. वसूली:-

- (i) अनुबंध सामान्यतः न्यूनतम मूल्यांकित निविदादाता को दिया जायेगा, जिसकी निविदा उत्तरदायी होना पाई गयी हो और निबंधनो व शर्तो के अनुसार अनुबंध संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने की पात्रता व योग्यता रखता हो। लेकिन न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए यह कार्यालय बाध्य नहीं होगा।
- (ii) रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर किसी भी कारण से बिना कारण बताए, निवदा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, पूर्ण या आंशिक, कोई या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा, एक से अधिक निविदादाताओं को निविदा अधिनिर्णय करने का अधिकार होगा।
- (iii) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित किसी भी अनुदेश, निबंधन व शर्तो में शिथिलता देने/वापस लेने को अधिकार होगा ताकि निविदादाताओं के चयन के दौरान और अनुबंध के निष्पादन के दौरान उत्पन्न किसी भी समस्या

से उभरा जा सके।

8. भुगतान की विधि:--

बिल/इनवॉइस का भुगतान 'निजी सचिव/ प्रभारी/ प्रोटोकॉल सेल', द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण/सत्यापन के बाद बिल शाखा द्वारा किया जायेगा। भुगतान केवल RTGS के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को सीधे किया जायेगा। किसी भी मामले में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान देय होगा।

9. अनुबंध:-

- (a) सफल निविदादाता को कार्यालय द्वारा दिये गये कार्यादेश की 0.25 प्रतिशत राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस कार्यालय के 'अनुबंध प्रारूप' के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर कार्यादेश / स्वीकृति पत्र की दिनांक से एक सप्ताह भीतर 'रिजस्ट्रार जनरल' राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को जमा कराना होगा।
- (b) कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की अवधि नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी ।

10. सामान्य / अन्य:-

(i) निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष पुष्टि के लिए समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता / DISQUALIFICATION होगी।

दिनांकः स्थानः

1

हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

- (ii) रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निविदा प्रस्तुत करते समय या बाद के चरण में प्रस्तुत विवरण द्वारा निविदादाता बाध्य रहेगा। यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए किसी भी दस्तावेज को किसी भी स्तर पर काल्पनिक / फर्जी पाया जाता है तो इसे अनुबंध के निबंधन, शर्त का मंग माना जायेगा, जो अनुबंध समाप्त करने के अलावा कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए निविदादाताओं को उत्तरदायी बनायेगा।
- (iii) यदि माल की आपूर्ति या अनुबंध की शर्तो के भंग, अर्थ अथवा निर्वचन में कोई विवाद हो तो रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) सभी कानूनी कार्यवाहियां, यदि उत्पन्न हो, तो उनकी दायरी/विचारण/सुनवाई का क्षेत्राधिकार जोधपुर शहर में स्थित सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय होगा।
- (v) किसी भी परिस्थिति में निविदादाता स्वीकृत दरों के आइटम्स की आपूर्ति के कार्य को अथवा उसके सारवान भाग को किसी अन्य एंजेसी को नहीं सौंपेगा।(सबलेट नहीं करेगा)। यदि ऐसा पाया जाता है कि निविदादाता ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है, तो बिना किसी नोटिस के तुरंत अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा साथ ही ''कार्य संपादन प्रतिभूति'' समपहृत/ जब्त कर ली जायेगी।
- (vi) सभी करों व लेवी का भुगतान केवल निविदादाता द्वारा किया जायेगा। कोई भी अन्य शुल्क जैसे चुंगी, पैकिंग, अग्रेषण, माल बीमा, लदान, उतराई, प्रवेश कर, डेमो इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सभी को केवल निविदादाता द्वारा वहन करना होगा।
- (vii) आवश्यकता होने पर दर संविदा को उसी कीमत / दरें, शर्ती पर नियमानुसार अग्रिम अवधि के लिए बढाया जायेगा।

11. विशेष:-

उपर्युक्त निबंधनों व शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, राजस्थान सरकार के General Finance & Accounts Rules व Rajasthan Transparency in public Procurement Rules 2013 में उल्लेखित प्रावधान यथा स्थान लागू होगें।

मैंने उपर्युक्त अनुदेश, निबंधन व शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं। मुझे निविदा सूचना की शर्ते, उपर्युक्त निबंधन व शर्ते मान्य व स्वीकार हैं और मैं सदैव इनका पालन करूँगा।

दिनांकः स्थानः

A

हस्ताक्षर निविदादाता मय पता व मोहर

Annexure-A Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

(a) have controlling partners/shareholders in common; or

(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



क्रमशः पृष्ठ सख्या –9

पृष्ठ संख्या – 9

Annexure-B Declaration by The Bidder regarding Qualification Declaration by the Bidder

pro No	relation to my/our Bid submitted to				
1.	I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;				
2.	I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document				
3.	I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;				
4.	I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;				
5.	I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;				
Da Pla	Signature of Bidder ce: Name: Designation: Address:				

-6

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

ब्र

Form No. – 1 Memorandum of Appeal (See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Before(Ap 1 Particulars of appellant:	pellate Authority)
(i) Name and father's name of the appellant(ii) Official address	:
(iii) Residential address :	
Number and date of the order appealed against passed the order, or a statement of a decision, a to the provisions of the Act by which the appell	t and name and designation of the officer / authority who action or omission of the procuring entity in contravention
3. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address	
5. Number of affidavits and documents enclose wit 6. Grounds of appeal:-	th the appeal:
7. Prayer	(Supported by an affidavit)
Place	
Appellant's Signature	

Annexure-D Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetic errors.-

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.
 If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.-

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original contract in current financial year 2017-18 on same terms and conditions. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award:-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

1

पृष्ठ संख्या - 13

ANNEXURE-E: DRAFT AGREEMENT FORMAT

(As per rules on Non-Judicial Stamp Paper of Rs. Equal to 0.25% of tender cost / work order maximum upto Rs.15000/-) $\{ to \ be \ signed \ by \ selected \ bidder(s) \ and \ tendering \ authority \}$

<i>addres</i> deeme	greement made this (enter date of Agreement)between(enter your firm's name & ss)(hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, where the context so admits, be d to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the RHC which sion shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns of the part.		
Court, branch	tas the approved supplier has agreed with the RHC to supply to the Registrar General, Rajasthan High Jodhpur, Rajasthan on behalf of (enter name of client organisation) to its various Offices as well as at its a offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in our Work Order No Dated appended hereto in the manner set forth in the conditions of the bidding document and contract ded herewith and at the rates set forth in the said order.		
	And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs in the form of: -		
a)	Cash/ Bank Draft No./ Banker Cheque/ Bank Guarantee Nodatedvalid upto		
b)	Post Officer Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.		
c)			
	Now these Presents witness:		
1)	In consideration of the payment to be made by the RHC through cheque/ DD at the rates set forth in the Work Order hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in our Work Order No dated//20 thereof in the manner set forth in the NIT, Tender Form, Instructions to Bidders, Terms of Reference, General and Special Conditions of the Tender and Contract, Technical Bid and Financial Bid along with their enclosures.		
2)	The NIT, Tender Form, Scope of Work, General and Special Terms & Conditions of the Tender and Contract, Technical Bid and Financial Bid along with their enclosures enclosed with the Tender Notice NIT No.: HC/SK/2018-19/ Dated2018 and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.		
3)	Letter Nos dated received from {bidder} and letter Nos Dated issued by the RHC. and appended to this agreement shall also form part of this agreement.		
4)	The RHC do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RHC will through cheque/ DD pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.		
5)	The mode of payment will be as specified in this bidding document/ work order.		
	The prescribed scope of work/ requirement of services and deployment of technical resources shall be effected and completed within the period as specified in the Work Order.		
	In case of extension in the delivery period/ completion period with liquidated damages, the recovery shall		

No.	Condition	LD %*
I.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period of the lot & completion of work	2.50%
II.	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period of the lot & completion of work	
III.	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period of the lot & completion of work	7.50%
IV.	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period of the lot, & completion of work	10.00%

be made on the basis of following percentages of value of stores/ works which the bidder has failed to

1

Note:

- i. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies and completion of work shall be eliminated, if it is less than half a day.
- ii. The maximum amount of liquidated damages shall be 10% of the desired Lot.
- iii. *The percentage refers to the payment due for the associated milestone/lot.

If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods in on account of hindrances beyond the control of the bidder.

Warranty/ Services shall be provided by the bidder as per terms and conditions of the NIT and Contract.

All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the RHC and the decision of the RHC shall be final.

In witness whereof the parties hereto have	day of (Year).	
Signature with Seal of the Approved supplier/ bidder	¥ 1	Signature for and on behalf of Registrar General, RHC, Jodhpur
Designation: Date:		Designation: Date:
Witness No.1		Witness No.1



ANNEXURE-F घोषणा—पत्र (फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

उपरोक्त समस्त जानकारी शर्तो को मैंने / हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे / हमें यह भी स्वीकार है कि श्रीमान रिजस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी फर्म द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा आपके कार्यालय में उपलब्ध वाहनों की साज—सज्जा हेतु (एसेसरीज) / आइटम्स आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त कार्य हेतु हमारे यहा अनुभवी एवं तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध है। राज्य सरकार / बोर्ड / विश्वविद्यालय / स्वायतशासी संस्थान / निगम / बैंक आदि के द्वारा मेरी / हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

दिनांकः स्थानः हस्ताक्षर निविदादाता मय पता सील मोहर

